

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल सुकमा, सुकमा
जिला - सुकमा (छत्तीसगढ़).

विषय : सुकमा जिले के सुकमा वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.857 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत व्यववर्तन प्रस्ताव ।

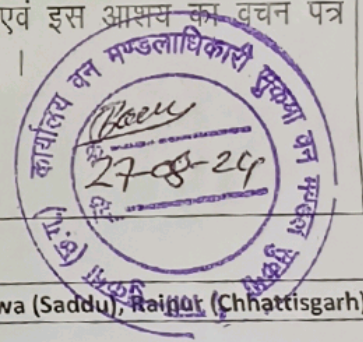
संदर्भ : (1) छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-29/2023/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.07.2024 ।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-940/2049 नवा रायपुर, दिनांक 20/08/2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.857 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि उपयोग पर देने हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक (2) के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के निर्देशानुसार अंतिम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।



4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.
Tel no: 079-35600100

	आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जायें कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति ना हो।	
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/स्वरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
09	आवेदक संस्थान स्वरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।

	समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।



(अमर कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड

रायपुर (छत्तीसगढ़)

संलग्न :- वचन पत्र 5 प्रतियों में ।